अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत् (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख
फैसला		
06 / 2022	04.04.2022	10/04/23

बउनवान

हुकमचन्द पुत्र पुरूषोत्तम जाति मीणा निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रार्थी

बनाम

1– पुरूषोतम पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

2– प्रहलाद पुत्र पुरूषोत्तम जाति मीणा निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

3– केदार बाई पुत्री पुरूषोत्तम पत्नि बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

4– रामनजानकी पुत्री पुरूषोत्तम पत्नि रूपचन्द जाति मीण निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

5– सन्तोष बाई पुत्री पुरूषोत्तम पत्नि त्रिभुवन जाति मीणा निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर इटावा

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमावन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या नया 948 पुराना 345 ख0न0 1356 रकबा 0.81 है, ख0न0 1360 रकबा 8.56 है, ख0न0 1923 रकबा 2.59 है ख0न0 2246 रकबा 0.34 है, ख0न0 3109 रकबा 0.09 है, ख0न0 733 रकबा 0.15 है, ख0न0 799 रकबा 0.12 है, ख0न0 800 रकबा 0.02 है, ख0न0 801 रकबा 0.02 है, ख0न0 802 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल खसरे 10 कुल रकबा 12.76 है भूमि स्थित है। जिसे इस प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी सहदायिक पैतृक कृषि आराजी है जो वर्तमान अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज है अप्राथी कम 1 को उक्त आराजी हीरालाल से प्राप्त हुई है और हीरालाल को अपने पिता बलदेव से प्राप्त हुई है। अर्थात् उक्त आराजी पीढी दर पीढी पुश्तैनी रूप से दर्ज चली आ रही है।

यह कि उक्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार निहित है। इसलिए उक्त आराजी सहदायिक एवं पैतृक होने से प्रार्थी का हिस्सा निहित है। अप्रार्थी कम 1 के दो पुत्र प्रार्थी हुकमचन्द एवं अप्राथी कम 2 प्रहलाद है और एक पुत्री केदारबाई है। चूंकि पक्षकार मीणा जाति के हैं इसलिए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होकर पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते हैं। इसलिए अप्रार्थी कम 3 का उक्त आराजी में अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, प्रहलाद का 1/3 हिस्सा, पुरूषोत्तम का 1/3 हिस्सा निहित है और वादी अपने 1/3 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी का पिता लकवा ग्रस्त बीमार व शारीरिक रूप से पूर्णतया असक्षम है और चलने–फिरने की स्थिति में नहीं है और सोचने समझने की स्थिति में नहीं है इसी का फायदा उठाकर अप्रार्थी कम 2 व 3 उक्त सम्पूर्ण आराजी का अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से रहन, बेचान, दान खर्दु–बुर्द हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रार्थी उक्त आराजी पैतृक सम्पति होने व विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा लेने से प्रार्थी अपने 1/8 हिस्से की खातेदारी की घोषणा दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी सहदायिकी पैतृक सम्पति में 1/3

सहायक कलक्टर इटावा

का केस प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी सहदायिकी पैतृक सम्पति में 1/3 हिस्से का अधिकारी है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी।

यह कि दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर गया तो अप्रार्थीगण ने ऐतराज किया और दीगर व्यक्ति को भूमि वेचने हेतु खेत दिखाया जिसकी प्रार्थी ने मना किया जो अप्रार्थीगण लडाई–झगडे पर आमादा हुए।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र की मद न0 2 में वर्णित आराजी ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमावन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या नया 348 पुराना 345 ख0न0 1356 रकवा 0.81 है, ख0न0 1360 रकबा 8.56 है, ख0न0 1923 रकबा 2.59 है, ख0न0. 799 रकबा 0.12 है, ख0न0 800 रकबा 0.02 है, ख0न0 801 रकबा 0.02 ख0न0 802 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल खसरे 10 कुल रकबा 12.76 है0 भूमि को अप्रार्थीगण कही रहन, बेचान, दान, खुर्द–बुर्द, राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करे, न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये, उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन की गई। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से श्री सत्यनारायण मीणा वकील द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया की पत्रावली में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की हुई है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब भी पेश हो चुका है। अत पत्रावली में बहस सुनी जाकर निर्णय पारित फरमावे।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया। इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण की ओर से अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 माल ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तहसील पीपल्दा के ख.न. 1356 रकवा 0.81,ख.न. 1360 रकबा 8.56 है, ख0न0 1923 रकबा 2.59 है, ख0न0. 799 रकबा 0.12 है, ख0न0 800 रकबा 0.02 है, ख0न0 801 रकबा 0.02 ख0न0 802 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल खसरे 10 कुल रकबा 12.76 है0 भूमि में अप्रार्थी कम 1 पुरूषोत्तम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड

अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर इटावा

है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पुश्तैनी होकर अपने पिता बलदेव से प्राप्त होना अवगत करवाया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि उक्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार निहित है। इसलिए उक्त आराजी सहदायिक एवं पैतृक होने से प्रार्थी का हिस्सा निहित है। अप्रार्थी कम 1 के दो पुत्र प्रार्थी हुकमचन्द एवं अप्रार्थी कम 2 प्रहलाद है और एक पुत्री केदारबाई है। चूंकि पक्षकार मीणा जाति के है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होकर पुरान हिन्दू लॉ से शासित होते है। इसलिए अप्रार्थी कम 3 का उक्त आराजी में अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, प्रहलाद का 1/3 हिस्सा, पुरूषोतम का 1/3 हिस्सा निहित है और प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् में न्यायालय सिविल न्यायाधीश इटावा द्वारा प्रकरण सं0 31/22 में दिनांक 10.10.2022 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें माल ग्राम अयाना के तहसील पीपल्दा के ख0न0 1360 रकबा 8.56 है0 आराजी के रेकॉर्ड की स्थिति में किसी प्रकार के परिर्वतन न तो स्वंय वादी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियो से करवाए तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए, के आदेश पारित किये हुए है।

उक्त विवेचन के आधार पर हम मानते हैं कि विवादित आराजी में अप्रार्थी कम 01 बतौर खातेदार दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा वाद के निस्तारण के समय की तय की जानी है। प्रकरण में ताफैसला खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजीयात् के संबध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश इटावा द्वारा भी स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। यदि इस न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में ताफैसला स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो Ambiguity पैदा होगी।

अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया जाकर दिनाक 10/01/23 को सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर इटावा